

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मांग संख्या 44
पशुपालन और डेयरी विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	3310.83	174.67	3485.50	4693.57	237.67	4931.24	3787.11	227.14	4014.25	4469.45	585.95	5055.40	
<i>वसूलियां</i>	-144.46	...	-144.46	
<i>प्राप्तियां</i>	-141.94	...	-141.94	-410.00	...	-410.00	-175.00	...	-175.00	-215.00	...	-215.00	
निवल	3024.43	174.67	3199.10	4283.57	237.67	4521.24	3612.11	227.14	3839.25	4254.45	585.95	4840.40	
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सचिवालय													
1.01	स्थापना व्यय	52.91	2.09	55.00	49.69	1.34	51.03	64.33	1.83	66.16	78.05	1.95	80.00
1.02	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	2.76	...	2.76
<i>जोड़- सचिवालय</i>		<i>55.67</i>	<i>2.09</i>	<i>57.76</i>	<i>49.69</i>	<i>1.34</i>	<i>51.03</i>	<i>64.33</i>	<i>1.83</i>	<i>66.16</i>	<i>78.05</i>	<i>1.95</i>	<i>80.00</i>
2.	पशु स्वास्थ्य संस्थान	19.31	2.33	21.64	19.44	35.97	55.41	22.14	38.12	60.26	30.66	69.34	100.00
3.	लघु पशुधन संस्थान	31.32	2.03	33.35	36.89	3.21	40.10	35.51	2.49	38.00	43.74	6.26	50.00
4.	नस्ल सुधार संस्थान	26.73	10.47	37.20	33.69	4.03	37.72	30.40	7.60	38.00	35.05	14.95	50.00
5.	पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र	18.65	0.41	19.06	23.01	11.12	34.13	22.00	4.00	26.00	29.69	15.20	44.89
6.	वास्तविक वसूलियां (स्था.)	-0.02	...	-0.02
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय		151.66	17.33	168.99	162.72	55.67	218.39	174.38	54.04	228.42	217.19	107.70	324.89
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं													
7.	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम	1034.47	...	1034.47	2465.00	...	2465.00	1980.00	...	1980.00	1980.00	...	1980.00
8.	अवसंरचना विकास निधि	271.09	...	271.09	370.00	...	370.00	395.00	...	395.00	460.00	...	460.00
9.	डेयरी विकास	370.82	...	370.82	220.00	151.00	371.00	299.00	151.00	450.00	524.55	475.45	1000.00
10.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	869.13	...	869.13	700.00	...	700.00	268.00	...	268.00	0.01	...	0.01
11.	वास्तविक वसूलियां (सीएस)	-87.01	...	-87.01
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं		2458.50	...	2458.50	3755.00	151.00	3906.00	2942.00	151.00	3093.00	2964.56	475.45	3440.01
केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय													
सांविधिक और विनियामक निकाय													

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. पशु कल्याण बोर्ड	10.23	...	10.23	10.00	...	10.00	9.84	...	9.84	10.30	...	10.30
13. पशु पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण हेतु समिति(सीपीसीएसईए)	1.51	...	1.51	1.61	...	1.61	1.61	...	1.61	1.70	...	1.70
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	11.74	...	11.74	11.61	...	11.61	11.45	...	11.45	12.00	...	12.00
स्वायत्त निकाय												
14. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद	4.00	...	4.00	13.74	...	13.74	8.13	...	8.13	10.00	...	10.00
अन्य												
15. दिल्ली दुग्ध योजना (डी एम एस)												
15.01 डीएमएस के व्यय	195.69	0.03	195.72	379.00	31.00	410.00	152.90	22.10	175.00	212.20	2.80	215.00
15.02 कम प्राप्तियां	-141.94	...	-141.94	-410.00	...	-410.00	-175.00	...	-175.00	-215.00	...	-215.00
	<i>निवल</i>	<i>0.03</i>	<i>53.78</i>	<i>-31.00</i>	<i>31.00</i>	<i>...</i>	<i>-22.10</i>	<i>22.10</i>	<i>...</i>	<i>-2.80</i>	<i>2.80</i>	<i>...</i>
16. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	2.50	...	2.50	3.25	...	3.25	3.50	...	3.50
जोड़-अन्य	53.75	0.03	53.78	-28.50	31.00	2.50	-18.85	22.10	3.25	0.70	2.80	3.50
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	69.49	0.03	69.52	-3.15	31.00	27.85	0.73	22.10	22.83	22.70	2.80	25.50
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
17. विकास कार्यक्रम												
17.01 पशुधन की जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	22.90	...	22.90	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00	250.00	...	250.00
17.02 राष्ट्रीय पशुधन मिशन	370.31	...	370.31	324.00	...	324.00	450.00	...	450.00	800.00	...	800.00
17.03 सहकारी समितियों द्वारा डेयरिंग (ईएपी)	9.00	157.31	166.31
<i>जोड़- विकास कार्यक्रम</i>	<i>402.21</i>	<i>157.31</i>	<i>559.52</i>	<i>369.00</i>	<i>...</i>	<i>369.00</i>	<i>495.00</i>	<i>...</i>	<i>495.00</i>	<i>1050.00</i>	<i>...</i>	<i>1050.00</i>
18. वास्तविक वसूलियां	-57.43	...	-57.43
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	344.78	157.31	502.09	369.00	...	369.00	495.00	...	495.00	1050.00	...	1050.00
कुल जोड़	3024.43	174.67	3199.10	4283.57	237.67	4521.24	3612.11	227.14	3839.25	4254.45	585.95	4840.40
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. पशु पालन	1982.01	...	1982.01	2693.98	...	2693.98	2210.33	...	2210.33	2287.17	...	2287.17
2. डेयरी विकास	587.74	...	587.74	377.00	...	377.00	464.90	...	464.90	697.75	...	697.75
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	55.65	...	55.65	49.69	...	49.69	64.33	...	64.33	78.05	...	78.05
4. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	...	15.24	15.24	...	54.33	54.33	...	52.21	52.21	...	105.75	105.75
5. डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.03	0.03	...	31.00	31.00	...	22.10	22.10	...	2.80	2.80
6. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.09	2.09	...	1.34	1.34	...	1.83	1.83	...	1.95	1.95
7. डेयरी विकास के लिए ऋण	...	157.31	157.31	...	151.00	151.00	...	151.00	151.00	...	475.45	475.45

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-आर्थिक सेवाएं	2625.40	174.67	2800.07	3120.67	237.67	3358.34	2739.56	227.14	2966.70	3062.97	585.95	3648.92
अन्य												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	431.50	...	431.50	153.93	...	153.93	270.96	...	270.96
9. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	389.35	...	389.35	696.30	...	696.30	693.98	...	693.98	875.59	...	875.59
10. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	9.68	...	9.68	35.10	...	35.10	24.64	...	24.64	44.93	...	44.93
जोड़-अन्य	399.03	...	399.03	1162.90	...	1162.90	872.55	...	872.55	1191.48	...	1191.48
कुल जोड़	3024.43	174.67	3199.10	4283.57	237.67	4521.24	3612.11	227.14	3839.25	4254.45	585.95	4840.40

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय और मुख्यालय में नेटवर्क आधारित सूचना प्रणाली के व्यय के लिए है। इसमें पीएओ (डीएमएस) नई दिल्ली और पीएओ एचडीएंडएफ मुंबई की स्थापना व्यय का प्रावधान भी शामिल है।

2. **पशु स्वास्थ्य संस्थान:** यह प्रावधान पशु संगरोध सेवा केंद्रों और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान आदि के लिए है।

3. **लघु पशुधन संस्थान:** यह प्रावधान केंद्रीय मुर्गीपालन विकास संगठन, क्षेत्रीय चारा केंद्र और केंद्रीय भेड़ पालन फार्म के लिए है।

4. **नस्ल सुधार संस्थान:** यह प्रावधान केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, केन्द्रीय झुंड पंजीकरण योजना आदि के लिए है।

5. **पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र:** यह प्रावधान पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र के लिए है।

7. **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम:** पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण और खुरपका के रोग (एफएमडी) और ब्रुसेल्लोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को एक एकल योजना में मिला दिया गया है जिसका नाम बदलकर पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम रखा गया है। इस योजना में विभिन्न टीकाकरणों, कौशल विकास तथा पशुचिकित्सा अवसंरचना के सुजन के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके धारणीय पशुधन स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकारों के कार्यकलापों को सहायता प्रदान करने के लिए निधियां रखी जाती हैं।

8. **अवसंरचना विकास निधि:** आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एचआईडीएफ) को डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) के साथ विलय कर दिया गया है, ताकि व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), धारा 8 कंपनियों और डेयरी सहकारी समितियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके ताकि (i) डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, (ii) मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (iii) पशु चारा संयंत्र (iv) नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी आदि की स्थापना की जा सके। बजट प्रावधान राज्य सहकारी डेयरी संघ (पूर्ववर्ती राज्य सहकारी डेयरी संघों को सहायता) की कार्यशील पूंजी आवश्यकता की सहायता के लिए भी है।

9. **डेयरी विकास:** यह प्रावधान अनुमोदित परियोजनाओं हेतु विभिन्न दुग्ध संघों/राज्य दुग्ध परिसंघों को निधियां निर्गत करने के लिए और डेयरी विकास योजना के सहकारिता घटक-बी के माध्यम से डेयरी के लिए है, जिसे जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेटिव एजेंसी (जेआईसीए) के सहयोग से शुरू किया गया है, जो ओडीए ऋण सहायता प्रदान करेगा।

10. **राष्ट्रीय गोकुल मिशन:** राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन, देसी नस्ल तथा राष्ट्रीय गोजातीय उत्पादकता मिशन नामक नई योजना के अंतर्गत आबंटनों को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत एक साथ मिला दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य गोजातीय उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तथा समेकित तरीके से देसी नस्लों का संरक्षण तथा विकास करना है।

12. **पशु कल्याण बोर्ड:** यह प्रावधान पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना व्यय के लिए है।

13. **पशु पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण हेतु समिति(सीपीसीएसईए):** यह प्रावधान कार्यालय के स्थापना व्यय और योजना के कार्यान्वयन के लिए है। यह कार्यालय पशु अधिनियम 1960 (1960 का 59) के अंतर्गत क्रूरता की रोकथाम के लिए किया गया था और पशुपालन और डेयरी विभाग को आबंटित किया गया था। पहले इस प्रावधान को एनआईएडब्ल्यू के बजट के साथ जोड़ा गया था।

14. **भारतीय पशु चिकित्सा परिषद:** यह प्रावधान वेतन, अन्य खर्चों और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के भवन के निर्माण के लिए है।

15. **दिल्ली दुग्ध योजना (डी एम एस):** यह प्रावधान दिल्ली दुग्ध योजना की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है जिसकी प्रारंभ में सरकार द्वारा व्यवस्था की जाती है और बाद में दूध और घी आदि की बिक्री से प्राप्त राजस्व से पूरा किया जाता है।

16. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों में योगदान के लिए रखा गया है।

17. **विकास कार्यक्रम:** श्वेत क्रांति के विभिन्न घटकों के पुनर्विलोकन और पुनर्व्यवस्थित करने के बाद श्वेत क्रांति योजना का नाम बदलकर विकास कार्यक्रम कर दिया गया है। i) राष्ट्रीय पशुधन मिशन और ii) पशुधन की जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण, विकास कार्यक्रम के घटक हैं। इस आबंटन में धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के लिए प्रावधान शामिल है।

17.01. **पशुधन की जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण:** यह प्रावधान पशुधन जनगणना योजना के लिए है, जिसमें 20 वीं पशुधन जनगणना के लिए प्रारंभिक कार्य 2017 शुरू हो चुका है और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण, जिसमें सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षणों के आधार पर प्रमुख पशुधन उत्पादों अर्थात् दूध, अंडे, मांस और ऊन आदि के उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है।

17.02. **राष्ट्रीय पशुधन मिशन:** यह प्रावधान पशुधन क्षेत्र, विशेषरूप से पशु, जुगाली करने वाले पशुओं तथा अन्य छोटे पशुधन के सतत विकास के उद्देश्य से संबंधित योजना के लिए है।